भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1788

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: बकाया ऋण की औसत राशि

1788. श्रीमती शताब्दी राय बनर्जीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपये है;

(ख) 1 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार प्रति कृषि परिवार सर्वाधिक बकाया कृषि ऋण राशि वाले पांच राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दस वर्षों में अधिक ऋण के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों और कृषि मजदूरों की वर्षवार संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 77वें दौरे (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार, देश भर में प्रति कृषक परिवार के बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपये है। कृषक परिवारों का पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2019 में किया गया था, अतः 1 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, प्रति कृषक परिवार के बकाया ऋण की राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि, नवीनतम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान प्रति कृषक परिवार के उच्चतम औसत बकाया ऋण वाले पांच राज्य निम्नवत हैं:

क्रम सं.	**राज्य**	**प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण की औसत (राशि रुपये में)**
1.	आंध्र प्रदेश	2,45,554
2.	केरल	2,42,482
3.	पंजाब	2,03,249
4.	हरियाणा	1,82,922
5.	तेलंगाना	1,52,113

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों और उनके भूमि एवं पशुधन स्वामित्व की स्थिति आकलन, 2019

(ग): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) नामक प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2023 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। आत्महत्याओं के कारण विविध हैं और इस रिपोर्ट में इनका विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

*****